# मध्यप्रदेश शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-9/99/3/ भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

**विषय** :—विभागीय जांच के संबंध में लोक सेवा आयोग के सुझाव.

**संदर्भ** :—सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-6-4/98/3/1, दिनांक 12-8-1997.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन के ध्यान में निम्न तथ्य लाये हैं:—

(1) गंभीर किस्म के आरोपों के मामले में आरोप प्रारूप की शब्दावली कुछ इस तरह की होती है कि आरोपों की गंभीरता ही समाप्त हो जाती है. इन सभी को मात्र अनियमितता के रूप में आरोपित किया जाता है और शासन को हुई हानि का उल्लेख न कर केवल वर्क मैन्युअल की कण्डिकाओं का उल्लंघन होना निरूपित किया जाता है. फलस्वरूप कार्यवाही मात्र परिनिन्दा या एक-दो वेतनवृद्धियां रोकने पर आकर समाप्त हो जाती है.

(2) विभागीय जाच के समय विभागीय जांच आयुक्त/अधिकारी के समक्ष शासन के पक्ष को प्रस्तुत करने वाला प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जरूरी साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं करता या जरूरी मौखिक साक्ष्य के लिये गवाह ही उपस्थित नहीं होता. इस तरह गंभीर आरोप होते हुए भी विभागीय जांच अंततः असफल ही सिद्ध होती है.

(3) विभागीय जांच के मामले न केवल लम्बे समय तक चलते हैं अपितु जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् बहुत वर्षों तक आगे कार्यवाही नहीं होती. इसका लाभ त्रुटिकर्ता को मिलता है.

2. उपर्युक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोप-पत्र जारी करते समय विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाए कि वर्क मैन्युअल की कण्डिकाओं के उल्लंघन को निरूपित करते हुए संबंधित शासकीय सेवक के अपचार का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये. साथ ही, आरोपी अधिकारी के कृत्य से शासन को हुई हानि को भी आरोप-पत्र एवं अभिकथन पत्रक में स्पष्ट रूप से दर्शाया जावे.

3. विभागीय जांच के समय जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निष्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए संबंधित सभी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने चाहिए. साक्ष्य के लिये गवाहों की उपस्थिति भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाना चाहिए. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाना) 1979 में दिनांक 5-4-97 का संशोधन कर जांच अधिकारियों को सशक्त किया गया है कि वह साक्षियों को उपस्थित करने के लिये सम्मन जारी कर सकता है. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कर्त्तव्य में लापरवाही बरती जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है.

4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं कि विभागीय जांच की कार्यवाही एक वर्ष की समयावधि में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे. हाल ही में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 12-8-1997 द्वारा भी इस विषय में पुनः निर्देश दिये गये है. इस परिपत्र के साथ एक समय सारणी भी संलग्न की गयी है जिसमें विभागी जांच के प्रत्येक स्तर पर लगने वाले संभावित समय की सीमा निर्धारित की गई है. विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
**( एम. के. वर्मा )**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-9/1/3/99 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1999

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मंडल. म. प्र. ग्वालियर.
2. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त संगठन, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार/म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/जबलपुर/भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, रायपुर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
10. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.

हस्ता./-
**( के. एल. दीक्षित )**
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.